

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 31.08.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-12 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना इटियाथोक पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. राजेन्द्र निषाद पुत्र रामशंकर नि० ग्राम देईयापुर मौजा कटरा भोगचन्द्र थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-273/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना को० नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रक्षाराम पुत्र गोली सोनकर नि० खैरी थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-664/21, 02. अनिल कुमार पुत्र राम छबीले नि० खैरा नयी बस्ती थाना को० नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-665/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना मोतीगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रामअभिलाख उर्फ सोनू पुत्र लाल बहादुर नि० केवलपुरा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-208/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

सराहनीय प्रेस नोट
मीडिया सेल, जनपद गोण्डा
दिनांक 31.08.2021

बलवा करने वाले 03 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत वांछित अभियुक्तों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को कड़े निर्देश दिए थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को० देहात पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान बलवा करने के 03 वांछित अभियुक्तों—01. बट्टी विशाल, 02. श्रीनिवास वर्मा, 03. अमित कुमार पाण्डेय उर्फ शुभम पाण्डेय को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त अभियुक्तों ने जमीनी विवाद के चलते बलवा करते हुए दिनांक 30.08.2021 को वादी रामदेव पुत्र माताप्रसाद पासी नि० बेलवा नोहर थाना को० देहात जनपद गोण्डा व उनके परिजनों को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए गाली—गुप्ता दिया था तथा लाठी—डण्डों से मारा—पीटा भी था। जिसके सम्बन्ध में वादी द्वारा थाना को० देहात में अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण—

01. बट्टी विशाल पुत्र केदार नाथ पाण्डेय नि० ग्राम सुभागपुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।
02. श्रीनिवास वर्मा पुत्र महादेव नि० ग्राम सुभागपुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।
03. अमित कुमार पाण्डेय उर्फ शुभम पाण्डेय पुत्र बट्टी विशाल पाण्डेय नि० ग्राम सुभागपुर थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोगः—

01. मु०अ०सं०—331/21, धारा 147,188,327,504,506 भादवि, 3(2)(5) एस०सी०एस०टी० एक्ट, 3 महामारी अधि० व 51 आपदा प्रबन्धन अधि० थाना को० देहात जनपद गोण्डा।

गिरफ्तारकर्ता टीमः—

उ०नि० प्रेम चन्द्र मय टीम।